




आदेश-पत्रक
(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता०.....से.....
जिला-खगड़िया....., सा०....., सन्.....
केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विन करने के संबंध में। वाद संख्या:-/65/2017 राज्य बनाम मोरकाही थाना कांड संख्या:-149/2017

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख-सहित 3.
05.02.2018	<p>बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 30(ए) के तहत मोरकाही थाना में दर्ज कांड संख्या-149/2017, दिनांक 23.09.2017, में 07(सात) लीटर, देशी महुआ शराब जप्त किये गए देशी शराब के विनष्टीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के ज्ञापांक 216/हि०शा०, दिनांक 19.01.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, मोरकाही का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि 07 (सात) लीटर महुआ देशी शराब, उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया से जाँच के पश्चात मोरकाही थाना के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है।</p> <p>पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।</p> <p>अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोरकाही थाने के मालखाना में रखी गई कुल-07.00 लीटर महुआ देशी शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख-रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए थाना मोरकाही कांड संख्या-149/2017 के आधार पर जप्त की गई कुल-07.00 लीटर महुआ देशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।</p> <p>इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, मोरकाही /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>समाहर्ता, खगड़िया।</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>समाहर्ता, खगड़िया।</p>	

<p>आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.</p>	<p>आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.</p>	<p>आदेश पर का गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.</p>
	<p>डी० बी० नं०.....३३...../विधि, दिनांक...०५/०९/२०१८ प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, मोरकाही /उत्पाद, अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि:-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।</p> <p style="text-align: right;">  05/09/18 प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया।  5/09/18 </p>	